सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 177 राँची, बुधवार, 1 चैत्र, 1938 (श०)
22 मार्च, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

29 दिसम्बर , 2016

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, गिरिडीह का पत्रांक-1968/रा०, दिनांक 13 नवम्बर, 2007
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-388, दिनांक 21 जनवरी, 2008, पत्रांक-7782, दिनांक 27 नवम्बर, 2009, संकल्प सं०-1746, दिनांक 23 फरवरी, 2013 एवं पत्रांक-2004, दिनांक 4 मार्च, 2016
3. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक-1311, दिनांक 9 मार्च, 2008
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-519, दिनांक 27 अक्टूबर, 2015

संख्या-5/आरोप-1-13/2014 का.-11184-- श्री अजय कुमार जामुदा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक 362/03, गृह जिला- सिंहभूम), तत्कालीन अंचल अधिकार, बगोदर, गिरिडीह के विरूद्ध उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-1968/रा०, दिनांक 13 नवम्बर, 2007 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है । श्री जामुदा के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में आरोप है कि:-

"अंचल कार्यालय, बगोदर के नामांतरण वाद संख्या-शून्य/2004-05 को मौजा-जरमुने थाना नं०-108 अन्तर्गत खाता नं०-334, प्लॉट नं०-1445, 1446 कुल सम्मिलित रकबा 1.29 एकड़ भूमि (सर्वे) खतियान के अनुसार कैशरे हिन्द भूमि का नामांतरण आदेश अंचल अधिकारी, बगोदर के रूप में पारित किया गया । अभिलेख में वाद संख्या अंकित नहीं रहना यह स्पष्ट करता है कि दाखिल खारिज आवेदन पंजी (पंजी-27) एवं दाखिल खारिज स्वीकृति पंजी (पंजी-7) में इसकी प्रविष्टि तक दर्ज नहीं की गई ।

अभिलेख के आदेश फलक में की गई व्याख्या भी दोषपूर्ण है, क्योंकि अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक-1511/रा०, दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 तथा आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के वाद संख्या-77/2000 में कहीं भी दाखिल खारिज की कार्रवाई स्वीकृत किये जाने संबंधी कोई उल्लेख अथवा निदेश प्राप्त नहीं है ।

नामांतरण वाद की कार्रवाई अभिलेख में मात्र हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, जो विहित प्रपत्र में नहीं है । हल्का कर्मचारी के द्वारा भूमि के कैशरे हिन्द प्रतिवेदन एवं आवेदित भू-खण्ड पर सामुदायिक भवन निर्मित रहने के उल्लेख के साथ-साथ हस्तान्तरणकर्त्ता के नाम से पंजी-II में कोई जमाबंदी कायम नहीं रहने संबंधी प्रतिवेदन के पश्चात् भी दाखिल खारिज की स्वीकृति दिया जाना तथा विहित प्रपत्र से भिन्न कार्यालय आदेश ज्ञापांक-3(मु०), दिनांक 29 मार्च, 2005 के द्वारा नामांतरण आदेश अनुपालन हेतु शुद्धिपत्र दिया जाना श्री जामुदा के निहितार्थ भाव को परिलक्षित करता है ।

क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उपयोग में लाए गए उपर्युक्त कृत्य को सरकारी हित में न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह के अपील वाद संख्या-130/2007-08 के अन्तर्गत खारिज कर श्री जामुदा एवं हल्का कर्मचारी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित किए जाने संबंधी आदेश पारित है ।"

श्री जामुदा के विरूद्ध गठित प्रपत्र- 'क' पर विभागीय पत्रांक-388, दिनांक 21 जनवरी, 2008 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड से विभागीय अनुशंसा एवं इस पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । आरोप-पत्र पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-1311, दिनांक 9 अप्रैल, 2008 द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए श्री जामुदा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा किया गया ।

तद्नुसार विभागीय पत्रांक-7782, दिनांक 27 नवम्बर, 2009 द्वारा श्री जामुदा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया । इसके अनुपालन में इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्रांक-27(II)/सा०, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा समर्पित किया गया, जिसमें निम्न तथ्य समर्पित किये गये हैं:-

1. अंचल अधिकारी, बगोदर के नामांतरण वाद संख्या-शून्य/2004-05 द्वारा मौजा जरमुने के खाता नं०-334, प्लॉट नं०-1445, 1446 कुल रकबा 1.29 एकड़ भूमि की दाखिल खारिज अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक-1511/रा०, दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 के निदेशानुसार शिव नारायण जायसवाल बगैरह के नाम से स्वीकृत किया गया है । भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ किस्म कैशरे हिन्द है ।

2. Law and procedure of Mutation and sairat Settlement के Chapter-6 के 11 में जो निर्देश है, उसके अनुसार पंजी में आवेदन का क्रमांक तिथि वगैरह दर्ज करना है । यह कार्य कार्यालय के लिपिक द्वारा किया जाता है । अगर दाखिल खारिज पंजी-27 एवं स्वीकृति पंजी-7 में प्रविष्टि नहीं की गयी है, तो इसके लिए संबंधित सहायक जिम्मेवार है । सिर्फ आरोपी पदाधिकारी के ऊपर आरोप उचित प्रतीत नहीं होता है ।

3. अवर न्यायाधीश, गया के हकियत वाद संख्या-34/37 द्वारा एक डिक्री कथित रूप में उक्त भू-धारियों के नाम से पारित है, दखल दिहानी दिया गया है । उसी समय से भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है । प्रश्नगत भूमि पर उक्त भू-धारियों द्वारा Ware House एवं अपने कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण इस बात का साक्ष्य है कि भूमि पर उसका दखल कब्जा है । भूलवश अभिलेख में इसका उल्लेख नहीं है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया में दखल कब्जा मूल आधार है ।

4. भूमि गैर मजरूआ आम कैशरे हिन्द है पर जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से प्रश्नगत् भूमि पर उक्त भू-धारियों का दखल कब्जा रहा है । भूमि का लगान निर्धारित नहीं है, जिस कारण लगान बकाया है । भू-धारी की सहमति से प्रासंगिक भूमि में रकबा 0.03 डिसमील भूमि में सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया था ।

5. अभिलेख की कार्रवाई अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के ज्ञापांक-1511/रा०, दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 के निर्देशानुसार आरंभ की गयी । अभिलेख उच्चाधिकारी के निर्देश पर आरंभ की गयी है । तद्नुसार राजस्व विभाग के पत्रांक- 4823/एल०आर०, दिनांक 11 जून, 1959 के आदेशानुसार कर्मचारी से प्रतिवेदन की माँग की गयी है । लेकिन उक्त पत्रांक में कर्मचारी का विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन संबंधी उल्लेख नहीं है । दाखिल खारिज राजस्व अधिकारी का प्रशासनिक आदेश है न कि हकियत संबंधी । हकियत संबंधी आदेश सिर्फ सिविल कोर्ट में पारित किया जाता है । दाखिल खारिज सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत अंचलाधिकारी के रूप में दैनिक कार्य के रूप में किया गया है ।

6. अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के ज्ञापांक-1511/राजस्व, दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 के द्वारा निर्देश है कि मूल कागजातों के आधार पर आवेदकगण के नाम से दाखिल खारिज की कार्रवाई की जाय । अगर नहीं की जाती, तो उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना होती । इसमें किसी तरह का स्वार्थ निहित नहीं है ।

7. इनका कहना है कि टाईटल सूट संख्या-75/2003, जो शिव नारायण जायसवाल बगैरह द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि पर दायर किया, उसमें आवेदक के वाद को न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया । अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक-1511, दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा आदेश दिया गया था कि शिव नारायण जायसवाल तथा अन्य व्यक्तियों के नाम से नामांतरण की कार्रवाई मूल कागजातों के आधार पर विधिवत् की जाय । इस बावत उन्होंने आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के वी०पी०एल० ई० अपील नं०-77/2000 में दिये गये निर्णय की छायाप्रति को आधार बनाया था । आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग का निर्णय 30 जुलाई, 2004 के अनुसार जब तक उपायुक्त द्वारा उक्त कैसरे हिन्द जमीन के बाबत न्यायालय में वाद दायर कर राज्य सरकार के पक्ष में न्यायालय से निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक उस व्यक्ति को भूमि से नहीं हटाये । इससे स्पष्ट है कि भूमि कैसरे-हिन्द है और खतियान में

दर्ज है। परन्तु बीच में कोर्ट के द्वारा जो कार्रवाई की गई और जमीन की जो नीलामी की गई, इसकी जाँच की जाय ।

8. उक्त के आधार पर आरोप मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

श्री जामुदा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं०-1746, दिनांक 23 फरवरी, 2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया एवं श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री जामुदा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच-प्रतिवेदन पत्रांक-519, दिनांक 27 अक्टूबर, 2015 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री जामुदा के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किये गये हैं । संचालन पदाधिकारी का कहना है कि उनका बचाव-बयान स्वीकार योग्य नहीं है । आरोपी पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी के अपने न्यायिक दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता और लापरवाही बरती थी । उन्होंने जानबूझकर आवेदनकर्त्ता को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया, जिससे भारत-सरकार को 1.29 एकड़ भूमि की क्षति हो जाती यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा आरोपी पदाधिकारी के आदेश को अस्वीकृत न किया गया होता । उपायुक्त का दावा विधिसम्मत है ।

श्री जामुदा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त श्री जामुदा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् इनके पेंशन से 20 प्रतिशत अगले 10 वर्षों तक कटौती का दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव किया गया । विभागीय पत्रांक-2004, दिनांक 4 मार्च, 2016 द्वारा श्री जामुदा से द्वितीय कारण पृच्छा की गई, जिसके अनुपालन में इनके पत्र, दिनांक 12 अप्रैल, 2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है:-

1. आरोप सं०-1 के संबंध में इनका कहना है कि ये अंचल अधिकारी, बगोदर के रूप में पदस्थापित थे और अंचल अधिकारी की हैसियत से ही इनके द्वारा कार्यों का निष्पादन किया गया। आरोपगत मामले में वर्ष 1937 के डिक्री को आधार बनाया गया था । अपील से संबंधित होने के कारण मामला भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को दिया गया, जो उनके क्षेत्राधिकार में है ।

2. विभागीय कार्यवाही का संचालन संकल्प सं०-1746, दिनांक 23 फरवरी, 2013 से आरंभ किया गया । जबकि 2007 में ही विभागीय कार्यवाही आरंभ किया गया होता तो, इसका निष्पादन काफी पहले हो गया होता, जिससे प्रोन्नति एवं पेंशन से वंचित नहीं रहना पड़ता ।

3. पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् 20 प्रतिशत राशि का 10 वर्षों तक कटौती का दण्ड उचित नहीं है ।

श्री जामुदा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि श्री जामुदा के विरूद्ध अंचल अधिकारी, बगोदर, गिरिडीह के पद पर कार्यावधि में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मौजा-जरमुने, थाना नं०-108 अन्तर्गत, खाता नं०-334, प्लॉट नं०-1445, 1446 कुल रकबा-1.29 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार कैशरे हिन्द भूमि का नामांतरण आदेश पारित करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है । इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में ऐसा कोई तथ्य समर्पित नहीं किया गया है, जिससे इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोप अप्रमाणित होता हो ।

जहाँ तक विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में हुए विलंब का प्रश्न है, इनके असहयोग के कारण विलम्ब हुआ है । कई स्मार के बाद श्री जामुदा द्वारा स्पष्टीकरण पत्रांक-27(II)/सा०, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा उपलब्ध कराया गया । तत्पश्चात्, इनके स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त संकल्प सं०-1746, दिनांक 23 फरवरी, 2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया एवं संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-519, दिनांक 27 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्राप्त होने के पश्चात् दण्ड अधिरोपण करने हेतु कार्रवाई की गई । इस प्रकार विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में हुए विलंब के लिए श्री जामुदा स्वयं जिम्मेवार हैं ।

समीक्षोपरांत श्री जामुदा के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए पेंशन नियमावली के नियम-43(बी)(ग) के तहत प्रस्तावित दण्ड के अधिरोपण हेतु विभागीय पत्रांक-5839, दिनांक 12 जुलाई, 2016 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई । झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-3058, दिनांक 23 नवम्बर, 2016 द्वारा श्री जामुदा के पेंशन से 20 प्रतिशत की राशि अगले 10 वर्षों तक कटौती का दण्ड अधिरोपित करने पर सहमति प्रदान की गई । अतः समीक्षोपरांत श्री जामुदा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् इनके पेंशन से 20 प्रतिशत अगले 10 वर्षों तक कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 177--50